राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/5/रातस/तह.कार्यव्यवस्थार्थ/2021–22/2311 दिनांकः 14/02/2022

–: आदेश :–

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(37)राज–1/ 2018 पार्ट दिनांक 24.11.2021 के क्रम में राजस्व मण्डल द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षकों की दिनांक 1.4.17 की वरिष्ठता सूची एवं समय–समय पर इसमें हुए संशोधन की स्थिति में वर्तमान में प्रभावी वरिष्ठता सूची के आधार पर 455 वरिष्ठतम भू–अभिलेख निरीक्षकों को राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 5369 दिनांक 15.9.2021 के द्वारा नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में पदस्थापित किया गया था। तत्समय इनके विरूद्ध जांच/दण्ड इत्यादि की सूचनाएं नहीं देखी गयी थी। किन्तु संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर, के पत्र क्रमांक प. 2(37)राज–1/2018 पार्ट दिनांक 24.11.21 एवं क्रमांक प.2(19)राज–1/2017 दिनांक 20.12.21 में भू–अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु विभागीय जांच/दण्ड /फोजदारी प्रकरण इत्यादि का परीक्षण करने के निर्देश है। जिस क्रम में पूर्व में कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापित इन 455 वरिष्ठतम भू–अभिलेख निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु इनके विरूद्ध जांच/दण्ड एवं अपराधिक/एसबी प्रकरणों इत्यादि के दृष्टिगत इनके प्रकरण को रिव्यू किये जाने हेतु आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 31.12.2021 की निरन्तरता में दिनांक 14.02.2022 को रिव्यू स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।

स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार निम्नांकित भू–अभिलेख निरीक्षकों को कार्यव्यवस्थार्थ स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर यथावत पदस्थापित रखने हेतु उपयुक्त पाया जाता है :–

NTSP AREA				
S.NO.	ELG NO.	SN.N.	NAME ILR	FATHER NAME
1	20	908	MAHENDRA KUMAR MANGAL	GANPAT LAL GUPTA
2	310	1425	SEVARAM	DOULATRAM

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तो के अध्ययधीन रहेगा :–

1– दिनांक 31.12.21 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति द्वारा उक्त भू–अभिलेख निरीक्षकों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल एवं केवल मात्र उक्त भू–अभिलेख निरीक्षकों के एक बार (One Time) कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं दिया जायेगा और इसके आधार पर कोई भी भू–अभिलेख निरीक्षक किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा/मांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ विभाग के समक्ष करेगा।

2– उक्त स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही कोई भू–अभिलेख निरीक्षक इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा /मांग करेगा।

3– स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई भू–अभिलेख निरीक्षक उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और ना ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

4– उक्त कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार मूल रूप से भू–अभिलेख निरीक्षक ही बने रहेगे तथा भू–अभिलेख निरीक्षक को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और नहीं किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

5– स्क्रीनिंग समिति की उक्त रिपोर्ट/अभिशंषा को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और भू–अभिलेख निरीक्षक को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भी भू–अभिलेख निरीक्षक इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

Scanned with CamScanner

6– स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन का यह आदेश सभी पात्र भू–अभिलेख निरीक्षको को स्वीकार्य होगा तथा कोई भी पात्र भू–अभिलेख निरीक्षक इस आदेश को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक विभाग /संस्था के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

7– उक्त भू–अभिलेख निरीक्षकों को वेतन नायब तहसीलदार के रिक्त पद के विरूद्ध इनके स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नियमानुसार इनके एलपीसी के आधार पर आहरित किया जायेगा।

8– उक्त भू–अभिलेख निरीक्षक यदि कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं करना चाहते है, तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय विस्तृत कारण उचित माध्यम सम्बंधित जिला कलक्टर /कार्यालयाध्यक्ष राजस्व मण्डल में भिजवायेंगे एक बार कार्यग्रहण में असमर्थता जाहिर करने पर पुनः कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9– स्क्रीनिंग समिति द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर स्क्रीनिंग की गयी है। फिर भी यदि किसी भू–अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 तक कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दण्ड होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है, जिससे वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन से हटा कर मूल पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा यदि किसी भू–अभिलेख निरीक्षक के सम्बंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार गलत /मिथ्या जानकारी के कारण उसे कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार पद पर पदस्थापन हेतु विचारित नहीं किया गया हो, तो उसके संदर्भ में विभागीय तथ्यों से वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत उसकी पात्रता बाबत विचार किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,

14/2/22

(डॉ. मोहन लाल यादव)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

कमांकः सम/ 2912 – 70 दिनांकः 14/02/2022

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
3– विशिष्ठ सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4– संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
4– आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।
5– आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
6– संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
7– जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
8– प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/प्रशासन/कंप्यूटर्स)राजस्व मण्डल राज.,अजमेर।
9– . . . .
10– सम्बंधित. . . . .
11– आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली ।

(भंवर सिंह सान्दू)
अतिरिक्त निबन्धक
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

Scanned with CamScanner